न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 29/2022 G.C.M.S. No. 2022/77 दर्ज दिनांक :25.03.2022

अपीलार्थी:

1. जगाराम पुत्र अजाराम
2. मोहनराम पुत्र अजाराम
3. रामाराम पुत्र अजाराम
4. केवलाराम पुत्र अजाराम
5. गंगादेवी पत्नी स्व. अजाराम जातियान मेघवाल, निवासी लाखणी, तहसील बागोड़ा, जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. स्व. जुठाराम पुत्र भबुताराम जाति माली के कायम मुकाम:—
   1/1. सुजाराम पुत्र जुठाराम
   1/2. गजाराम पुत्र जुठाराम
   1/3. निम्बाराम पुत्र जुठाराम
   1/4. हरचन्दराम पुत्र जुठाराम
   1/5. पुराराम पुत्र जुठाराम
   1/6. तेजूदेवी पत्नी स्व. जुठाराम जातियान माली, निवासी लाखणी, तहसील बागोड़ा
2. टिकमा पुत्र गीगा
3. स्व. रामीगा पुत्र गीगा के कायम मुकाम:—
   3/1. ताराराम पुत्र रामीगा
   3/2. दुदाराम पुत्र रामीगा
   3/3. मथरादेवी पत्नी रामीगा
4. स्व. लच्छाराम पुत्र गोदाराम के कायम मुकाम:—
   4/1. रमकुदेवी पत्नी लच्छाराम
   4/2. भीमाराम पुत्र लच्छाराम
   4/3. विक्रम पुत्र लच्छाराम
   4/4. कमलेश पुत्र लच्छाराम
   4/5. कबादेवी पुत्री लच्छाराम पत्नी केवदाराम
5. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार बागोड़ा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2020

राजस्व अपील प्राधिकारी

बअनवान स्व. जुठाराम के कायम मुकाम सुजाराम बनाम टिकमा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022

पैरोकार–

1. श्री नैन सिंह राजपुरोहित, श्री गोविन्द कुमार विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः 29.05.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2020 बअनवान स्व. जुठाराम के कायम मुकाम सुजाराम बनाम टिकमा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में स्व. जुठाराम पुत्र भबुताराम माली ने अधिनस्थ न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी बागोडा के न्यायालय में धारा 251 (क) राजस्थान टिनेन्सी एक्ट का प्रार्थना–पत्र देकर सरहद मौजा लाखणी के अपने खेत खसरा नम्बर–894, 946 में आने–जाने का रास्ता खसरा नम्बर–893 व 950 में से मांग की व बताया कि खसरा नम्बर–950 की पश्चिमी लोर के सहारे प्रार्थना–पत्र के साथ प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट–अ में सी से डी हरे रंग से दर्शित स्थान पर पिछले 60 सालों से अधिक समय से आवागमन करते आ रहे हैं, परन्तु निकटतम रास्ता परिशिष्ट–अ में ए से बी है, जहां से 18 फीट चौडा रास्ता प्राप्त करना चाहते हैं। उक्त प्रार्थना–पत्र पर अधिनस्थ न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं कर गैर कानूनी तरिके से रास्ता खसरा नम्बर–893 में से 6 मीटर चौडा रास्ता कायम करने का आदेश दिनांक 25–01–2022 को दिया है, जो आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध है। चूंकि स्व. जुठाराम ने धारा 251 (क) का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया उस समय रामींगा पुत्र गीगा व लच्छाराम पुत्र गोदाराम जीवित नहीं थें, अर्थात मर चुके थें। मरे हुए व्यक्तियों के विरूद्ध प्रार्थना–पत्र पेश किया, जो प्रथम दृष्टया ही काबिल खारिज था, जिनके वारिसान को गलत ढंग से रेकर्ड पर लेकर फैसला व आदेश दिया है। स्व. जुठाराम के मरने के बाद उनके वारिसान सुजाराम वगैरा रेकर्ड पर प्रार्थीगण कायम हुए तथा उन्होंने मृतक लच्छाराम व रामींगा के वारिसान को पक्षकार बनाने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया, मगर जानबूझकर लच्छाराम की पुत्रियों–जमनादेवी, जोसनाकुमारी, तीजोदेवी व सौरमदेवी को पक्षकार नहीं बनाया तथा संशोधित टाईटल पेश किया, उसमें भी उनका नाम दर्ज नहीं किया। जमनादेवी पुत्री लच्छाराम, जोसनाकुमारी पुत्री लच्छाराम, तीजोदेवी पुत्री लच्छाराम व सौरमदेवी पुत्री लच्छाराम खसरा नम्बर–893 व 950 की रेकर्डेड खातेदार है, जो जमाबन्दी से स्पष्ट है। जमाबन्दी संवत् 2071–2074 सबूत हेतु साथ में पेश है। इस प्रकार रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार अप्रार्थी नहीं बनाकर फैसला किया है, जो नॉन जॉयन्डर ऑफ प्रोपर पार्टी के कारण फैसला काबिल खारिज है। प्रार्थीगण ने सरहद लाखणी के खसरा नम्बर–894 में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर–893 व 950 में से रास्ता मांगा है तथा खसरा नम्बर–950 के पश्चिमी लोर के सहारे नक्शा परिशिष्ट–अ में सी से डी हरे रंग से दर्शित रास्ता 60 सालों से चलना बताया है, मगर

न्यायालय ने उक्त स्थान पर रास्ता कायम नहीं कर खसरा नम्बर–893 के पश्चिमी लोर पर नक्शा परिशिष्ट अ में बताये ए से बी स्थान पर रास्ता मंजूर किया है, जो बिल्कुल ही गलत है। प्रार्थीगण के खेतों में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता पहले से ही उपलब्ध होते हुए भी नया रास्ता खोलने का आदेश दिया है। अदालत मातहत ने अप्रार्थीगण संख्या–4 गंगाराम पुत्र स्व. अजाराम बताकर फैसला दिया है, जबकि गंगाराम पुत्र अजाराम नाम का कोई व्यक्ति नहीं हैं। नया रास्ता कायम करने से पूर्व तहसीलदार से मौका रिपोर्ट मंगवाया जाना आवश्यक है, मगर तहसीलदार द्वारा मौका नहीं देखा गया, आर.आई. हल्का द्वारा मौका देखना बताया जा रहा है, मगर मौका देखने से पूर्व न तो अदालत मातहत ने अप्रार्थीगण को मौके पर मौका देखने की तारीख बताई व न ही आर.आई हल्का ने मौका देखने से पूर्व अपीलान्ट्स को कोई नोटिस ही दिया, न ही अपीलान्ट को मौका देखने की तारीख का सूचित ही किया। मौका बिना अपीलान्ट को सूचना दिये एकपक्षीय देखा गया है, जो गैर कानूनी है। इतना ही नहीं आर.आई. हल्का ने किसी भी मौतबिरान के रूबरू मौका नहीं देखा। मौका रिपोर्ट से प्रतित होता है कि ऑफिस में बैठे ही बिना मौका देखे मौका रिपोर्ट बनाई हैं। पत्रावली की आदेशिका देखने से स्पष्ट प्रतित होता है कि अदालत मातहत ने गैरकानूनी तरिके से फैसला व आदेश पारित किया है। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 24–12–2021 को प्रार्थी को तलबी के सम्मन पेश किये थें व अगली तारीख 28–12–2021 को रखी गई थीं, जिसमें सम्मन तामिल अथवा अदम तामिल प्राप्त होने का कोई उल्लेख नहीं हैं तथा दिनांक 28–12–2021 के बाद पेशी दिनांक 25–01–2022 को रखी गई व उसी दिन अप्रार्थी संख्या–2 के वारिसान का जवाब बंद कर दिया व बिना तामिल के अप्रार्थी संख्या–3 के वारिसान के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर उसी दिन गलत ढंग से बहस सुनना बताकर उसी दिन फैसला व आदेश कर दिया। इस प्रकार बिना अप्रार्थीगण की प्रॉपर तामिल के एकपक्षीय कार्यवाही कर फैसला किया है, जो फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विरूद्ध व गैर कानूनी होने से क़ाबिल खारिज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील आदेश अपास्त फरमावें।

अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अधिवक्ता अपीलांट ने अपने कथनो के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये:–

1. 2022(2) RRT 938
2. 2016(supp.)

हमने अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का भलीभाती अवलोकन किया तथा प्रकरण के सम्यक न्यायिक निर्णयन में यथोचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट संख्या 01 स्व. जुठाराम पुत्र भबुताराम ने अपने खातेदारी भूमि सरहद मौजा लाखणी के खसरा नम्बर 894 व 946 की भूमि में आने–जाने हेतु अप्रार्थीगण अपीलण्ट्स की आराजी खसरा नम्बर

893 व 950 में से रास्ते की मांग हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 25.01.2022 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर खसरा नम्बर 893 में से रास्ता स्वीकृत किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गयी।

2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को दर्ज कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। अपीलांट्स अप्रार्थीगण संख्या 04 से 08 की ओर अधिवक्ता गोरधन राम बिश्नोई ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जांच प्रतिवेदन तलब किया गया। जो भू. अ. नि धुम्बडिया द्वारा दिनांक 10.07.2021 को तैयार किया गया। उक्त जांच प्रतिवेदन नजरी नक्शा के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेण्ट की आराजी खसरा 894 एवं गैर मुमकीन रास्ता के मध्य अपीलाण्ट की आराजी खसरा संख्या 893 स्थित होने से खसरा संख्या 894 में से रास्ता प्रस्तावित किया गया। जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। भू.अ.निरी. द्वारा प्रार्थी की मांग अनुरूप खसरा संख्या 894 में से दो विकल्प क्रमशः पूर्वी सीमा एवं पश्चिमी सीमा के सहारे रास्ता प्रस्तावित किया गया है। प्रकरण में भू.अ.नि. द्वारा अन्य कोई विकल्प दर्शित व प्रस्तावित नहीं किए है।

3. अपीलांट का यह उज्र लिया गया कि खसरा संख्या 900 व खसरा संख्या 901 के पश्चिमी लोर पर खसरा संख्या 894 में आने जाने का रास्ता है, जो कि निकटतम दूरी का है। जिसके संबंध में भू अ निरीक्षक द्वारा कोई जांच नहीं की गयी एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस संबंध में गौर नहीं कर कानूनन भूल की है। इस संबंध में हमने ग्राम लाखनी के भू–नक्शा को हुबहु चस्पा किया गया जो निम्नानुसार है–

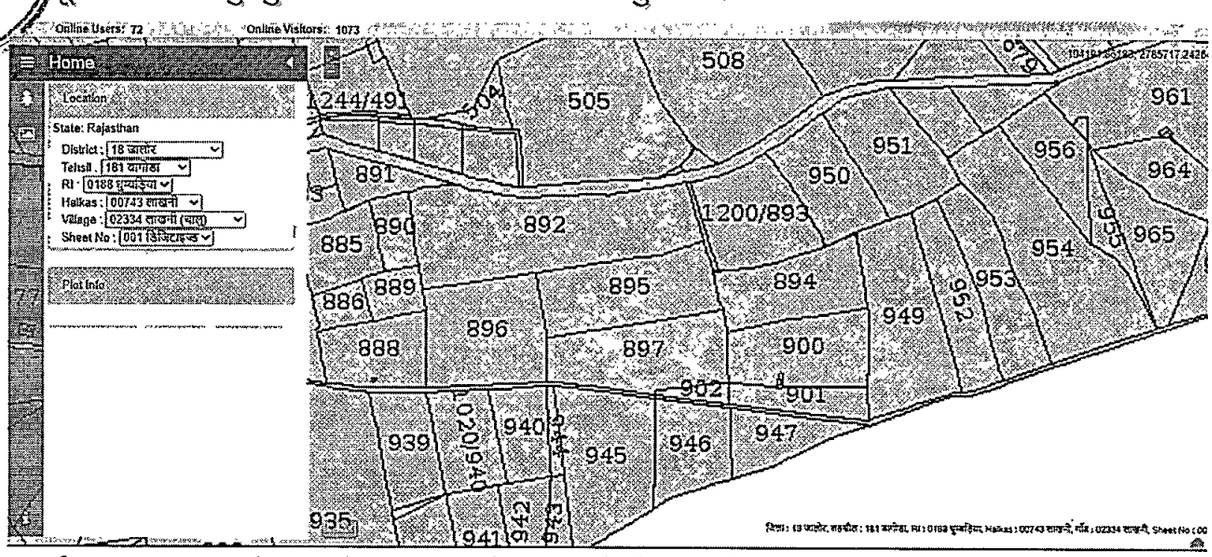

4. उपर्युक्त भू–नक्शा के अवलोकन मात्र से स्पष्ट है कि प्रार्थी की आराजी खसरा सख्या 894 के ठीक दक्षिण में स्थित खसरा संख्या 901 व 900 के पश्चिम सीमा के सहारे अन्य निकटतम दुरी का विकल्प मौजूद है। जो कि गै मु. रास्ता से लगता है। भू.अ.नि. इस संबंध में कोई जांच नहीं की गयी जबकि नियम 69 के अन्तर्गत प्रार्थी के जोत तक पहुच के लिए सभी संभावित विकल्प मय दूरी जांच अधिकारी द्वारा अपनी जाच प्रतिवेदन में प्रस्तावित किया जाना आज्ञापक है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी इस संबंध मे कोई

गौर नहीं कर प्रार्थी की मांग के अनुरूप भू.अ.नि. द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन के आधार पर खसरा संख्या 893 में से रास्ता स्वीकृत कर कानूनन भूल की है। जो पुष्टि योग्य नही है।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित होने व अपीलाधीन आदेश पुष्टियोग्य नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को अपास्त किया जाकर पत्रावली विधिनुरूप पुनः निर्णयन के निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखंड अधिकारी बागोड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 14/2020 बअनवान स्व. जुठाराम के कायम मुकाम सुजाराम वगै. बनाम टिकमा वगैरह में पारित आदेश दिनांक 25.01.2022 को अपास्त करते हुए प्रकरण अधीनस्थ विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में खसरा संख्या 900 व 901 के खातेदारान को पक्षकार संयोजित करते हुए पक्षकारान को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए पक्षकारान को विधिवत सूचित करवाया जाकर, भू–अभिलेख निरीक्षक से अनिम्न राजस्व अधिकारी से धारा 251क एवं नियम 69 व 70 में विहित प्रावधानो का अनुपालन करते हुए प्रार्थी की आसाजी तक पहुच के लिए सभी संभव विकल्प मय दुरी प्रस्तावित करते हुए नियमानुसार नवीन व स्पष्ट मौका रिपोर्ट मय नक्शा प्राप्त कर उभयपक्षकारान को सुनवाई एवं प्रतिरक्षा का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में धारा 251क एवं नियम 69 व 70 के आज्ञापक विधिक प्रावधानो की अनुपालना करते हुए प्रकरण में विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को जरिये अधिवक्तागण पाबंद किया जाता है कि वे दिनांक 21.07.2026 को असालतन/वकालतन न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बागोड़ा में उपस्थित रहें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली